

2014/000392
 30/11/16
 PORTAL

सरकार
 राजस्थान सरकार

तारीख संख्या
 20/10
 4-2-3016
 14/10/16
 6-1-2-16
 30/3/16

न्यायालय

क्रमांक सूत्र संख्या	सूत्र संख्या नं. पूर्व वर्ष	तारीख जाप	नाम शेखर	तारीख संख्या	वर्ष संख्या
312 P.T.A	33/3-14	3-4-2014	जी जया	12 12 2017	12 12 2017

22/6/16
 4-1-16
 12/11/17
 25/2/17
 7/11/17
 12/12/17

अवधान

श्री संजय शर्मा श्री जी जया
 श्री संजय शर्मा श्री जी जया

ज. ल. आचार्य
 न्यायाधीश/अधीक्षक

कार्यवाही अर्थात नाम 312 P.T.A.




14-10-2015 पत्रावली पत्रा संख्या 3016 वकील वारी 30/10/2015
 में 1 वकील करवाई 30/10/2015

फर्द अहकाम
(नियम 26)

मुकाम

बनाम

नं. 33 सन् 24

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/17	<p>भावली न्याय अदालत की आभ्यास (21/11/17) परवृत्त हु शिक्षकार वाली/पतिवादी बाजिर मर बाजिर शिक्षकारों में सम्मति नहीं करने से राजीनामा नहीं दा सका पत्रावली दि 29/11 का वास्त 24/11 पेश हा</p> <p style="text-align: center;"> उपरखण्ड अधिकारी मण्डलगत जि भीलवास्त</p>	
29/11	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभावक 29/11 उपस्थित। समय चाहते हैं पत्रावली वास्त दिनांक 21/11/17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी मण्डलगत</p>	
21/11/17	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभावक 21/11 उपस्थित। समय चाहते हैं पत्रावली वास्त दिनांक 12/11/17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>	
12/11/2017	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित उपस्थित। माल पत्रावली गणों के अनुपस्थित रहने के फल में ही उनके विरुद्ध शकसत आ आदेश परादि ही कुछ ही कुछ मामला 234 फीस होने ही पट्टीज उपस्थित दि 234 फीस बहस पुनी जिसमें 234 फीस दि 234 फीस बहस पुनी जिसमें 234 फीस 1205, 1206, 1212, 1213, 1214, 1215 कुल रकम 20 बीघा 2 फिलवा 1/2 अस्थायी निषेधाज्ञा आ आदेश जारी न (10) करवावे। वकील उपस्थित दि 234 फीस</p>	

99/27/11
42149.R
4145.4
16.1

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

नम
अ
हु
र

डा. अशोक कुमार द्वारा जारी किया गया जिससे जारी
आया है। मामला उच्च न्यायालय पर
के पक्ष का बन रहा है। अतः अर्पण
पत्र लंबीकार किया जाकर ऊपर वर्णित
कार्रवाई पर रोक लगाई एवं मंडल द्वारा
कनाथे रखने के लिए मूल को निलंबित
कर आस्थापी विधे धारा का अंतर्गत
आदेश जारी किया जाता है। 17/11/11
केसल सुमा. हाउस नम्बर 1 के केंद्र
जाकर मुद्रण के साथ संलग्न है।
आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलागढ़